संख्याः379378/XVII(4)/2026-155/2005(17245)

नोडल अधिकारी (पुरस्कार)

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

(बंशी लाल राणा)
निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
देहरादून, उत्तराखण्ड

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून 1508 20/3/26

सेवा में,

निदेशक,

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,

उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक17 मार्च, 2026

विषयः–"राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली" पुरस्कार के पूर्व निर्दिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि राज्य स्त्री तीलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखण्ड की वीरांगना "तीलू रौतेली" के नाम से प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में किशोरियों/महिलाओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार योजना प्रारंभ की गयी है, जिसका कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–1062 दिनांक 13.07.2022 द्वारा सामान्य दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– इस संबंध में आपके पत्र संख्या–सी–2843/तीलू0रौ0पु0–7568/2025–26 दिनांक 29.12.2025 द्वारा किये गये अनुरोधानुसार उक्त शासनादेश संख्या–1062 दिनांक 13.07.2022 के प्रस्तर–1 एवं प्रस्तर–6 में उल्लिखित व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका के कॉलम–03 के अनुसार संशोधित/प्राविधानित किये जाने की स्वीकृति/अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः–

क्र0स0	पूर्व प्राविधान	नवीन प्राविधान
1	2	3
1	प्रस्तर–1 योजना का स्वरूप– प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखण्ड की वीरांगना "तीलू रौतेली" के नाम से जाना जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में किशोरियों/महिलाओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है। यह पुरस्कार उन महिलाओं/किशोरियों को दिया जायेगा, जिन्होंने निम्न में से किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य	प्रस्तर–1 योजना का स्वरूप – प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह 'राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखण्ड की वीरांगना "तीलू रौतेली" के नाम से जाना जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में किशोरियों/महिलाओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है। यह पुरस्कार महिलाओं/किशोरियों को दिया जायेगा, जिन्होंने निम्न में से किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो, के निर्दिष्ट किये गये सभी क्षेत्रों में महिला एवं किशोरियों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता/महिला सामाजिक संगठनों/संस्था को भी सम्मिलित किया जाता है।

म0अ0 (पुरस्कार) तथा प्र0सहा0 (योजना)

	किया हो।	
	प्रस्तर–1 (6)– विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह व अनैतिक व्यापार को रोकने का कार्य किया हो।	प्रस्तर–1 (6)– ऐसी किशोरी /महिला /सामाजिक कार्यकर्ती तथा महिला सामाजिक संगठनों/संस्था, जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह व अनैतिक व्यापार को रोकने का कार्य किया हो।
		प्रस्तर–1 में एक अतिरिक्त उप प्रस्तर को प्रस्तर–1 (14) के रूप में निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:– "ऐसी किशोरी /महिला /सामाजिक कार्यकर्ती तथा महिला सामाजिक संगठनों/संस्था जिन्होंने महिला हिंसा /उत्पीड़न को रोके जाने हेतु कार्य किया हो।
2	प्रस्तर–6– नामांकित किशोरी/महिला में से पुरस्कार हेतु न्यूनतम 13 महिलाओं का चयन किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति विशिष्ट क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु किसी एक किशोरी /महिला को बिना नामांकन के भी चयन कर सकती है।	पुरस्कार हेतु नामांकित किशोरियों/महिलाओं तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में पुरस्कार हेतु नामांकित महिला/किशोरी/महिला सामाजिक संगठनों /संस्था/सामाजिक कार्यकर्ती को सम्मिलित करते हुये पुरस्कार हेतु कुल 13 (प्रत्येक जनपद से एक–एक) महिला /किशोरी/महिला सामाजिक संगठनों /संस्था/सामाजिक कार्यकर्ती का चयन किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति विशिष्ट क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु किसी एक किशोरी/महिला/सामाजिक कार्यकर्ती तथा महिला सामाजिक संगठनों/संस्था को बिना नामांकन के भी चयन कर सकती है।

4– उक्त शासनादेश संख्या–1062 दिनांक 13.07.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शासनादेश संख्या–1062 दिनांक 13.07.2022 में उल्लिखित अन्य शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 16-03-2026 18:35:39

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

I/379378/2026
संख्या: /XVII(4)/2026-155/2005(17245) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, म0स0एवंबा0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, म0स0एवंबा0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Vandana Dangwal
Date: 17-03-2026
11:26:54

आज्ञा से,

(वन्दना डंगवाल)
अनु सचिव।